आंचलिक महायोजना

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं पानपाथा वन्यजीव अभ्यारण्य

खण्ड 1

विषय सूची

परिभाषाएं ---------- I

सकेंताक्षर ---------- III

अध्याय 1 हरित भूमि नियोजन-दृष्टिकोण एवं उद्देश्य ---------- 1

1.1 दृष्टिकोण ---------- 1

1.2 प्रबंधन का उद्देश्य ---------- 1

1.3 अल्पकालिक उद्देश्य ---------- 1

1.4 दीर्घकालिक उद्देश्य ---------- 1

1.5 उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ ---------- 2

अध्याय 2 पारिस्थितिक संवेदी जोन के ज़ोनिंग की योजना एवं दिशा-निर्देश ---------- 3

2.1 सुझावात्मक भू उपयोग योजना ---------- 3

2.2 सतत विकास एवं प्रकृति सरंक्षण के क्षेत्र ---------- 4

2.3 पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के क्षेत्र ---------- 4

2.4 पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध गतिविधियां ---------- 4

2.5 पारिस्थितिक संवेदी जोन में विनियमित गतिविधियां ---------- 4

2.6 पारिस्थितिक संवेदी जोन में संवर्धित गतिविधियाँ ---------- 4

अध्याय 3 विषय योजना ---------- 5

3.1 सरंक्षण – विकास के विषयों का समाधान ---------- 5

3.2 मिट्टी की नमी व्यवस्था को कायम रखना ---------- 7

3.3 कोरिडोर और कनेक्टिविटी का पुनर्स्थापन ---------- 8

3.4 वर्षाजल संवर्धन (Rain Water Harvesting- RWH) ---------- 8

3.5 नगरपालिक अपशिष्ट प्रबंधन ---------- 8

3.6 अपशिष्ट जल उपचार ---------- 9

3.7 .ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ---------- 9

3.8 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ---------- 9

3.9 वर्षा जल प्रबंधन ---- 10
3.10 वाहनों का यातायात नियंत्रण ---- 10
3.11संसाधन निष्कर्षण का प्रबंधन ---- 10
3.12 हानिकारक कचरे का प्रबंधन ---- 11
3.13 सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण ---- 11
3.14 जल के प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण ---- 11
3.14 जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना ---- 12
3.16 पर्यटन और विरासत संरक्षण (उप-क्षेत्रीय पर्यटन योजना) ---- 12
3.17 कृषि और पशुधन प्रबंधन ---- 12
3.18 कुटीर उद्योंगों को प्रोत्साहन देना ---- 13
3.19 प्रदूषण कम करना ---- 13
3.20 मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) प्रबंधन ---- 13

अध्याय 4 आजीविका के विषय और सुझाव ---- 14

4.1 हितधारक परामर्श ---- 14
4.2 पर्यावरण-विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना ---- 14
4.3 माइक्रो प्लान तैयारी ---- 15
4.4 माइक्रो प्लान का कार्यान्वयन ---- 16

अध्याय 5 उप क्षेत्रीय (सब जोनल) पर्यटन योजना ---- 17

5.1 सतत पर्यटन को प्रोत्साहन देना ---- 17
5.2 संरक्षण शिक्षा ---- 20
5.3 पर्यटन के लिए प्रबंधन दिशानिर्देश ---- 20

अध्याय 6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण ---- 21

6.1 अनुसंधान और निगरानी को प्राथमिकता देना ---- 21
6.2 कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का विकास ---- 21
6.3 कौशल विकास और कार्य-स्थल प्रशिक्षण ---- 22

6.4 एक शिक्षण केंद्र की स्थापना ---------- 22

6.5 क्षमता निर्माण और अभिसरण ---------- 23

अध्याय 7 बजट ---------- 24

7.1 योजना बजट ---------- 24

7.2 वित्तपोषण का स्रोत ---------- 24

7.3 आहरण (ड्राइंग) एवं संवितरण तंत्र ---------- 25

अध्याय 8 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियम ---------- 26

8.1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अनुमति जारी करना ---------- 26

8.2 संवेदनशील क्षेत्र ---------- 27

8.3 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के अधिसूचना अनुसार विनियम ---------- 29

8.4 विनियामक प्राधिकारण ---------- 29

8.5 कार्यान्वयन और प्रक्रिया प्रवाह ---------- 31

अध्याय 9 निष्कर्ष ---------- 33

परिभाषाएं

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन : पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZs) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित क्षेत्र हैं। ESZs घोषित करने का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक तरह का "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र : ESA संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है जो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) की पहचान और अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 1989 से की गई है।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ : मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को "वे लाभ जो लोग पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं" के रूप में परिभाषित किया है।

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र : पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) ऐसे भू-दृश्य तत्व या स्थान हैं जो स्थल पर और क्षेत्रीय संदर्भ में जैविक विविधता, मिट्टी, पानी या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें वन्यजीव आवास क्षेत्र, तीव्र ढलान, आर्द्रभूमि और प्रमुख कृषि भूमि शामिल हैं।

संरक्षित क्षेत्र: एक संरक्षित क्षेत्र एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक स्थान है, जिसे वैधानिक या अन्य प्रभावी माध्यमों से मान्यता प्राप्त है, सुनिश्चित किया हुआ है और प्रबंधित किया जाता है, ताकि संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति का दीर्घकालिक संरक्षण प्राप्त किया जा सके। (IUCN परिभाषा 2008)

कोर ज़ोन : कोर ज़ोन अबाधित पारिस्थितिकी तंत्र और एक विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता से बनता है। यह सबसे अधिक सुरक्षा वाला क्षेत्र है, यह केवल उन गतिविधियों की अनुमति देता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में हस्तक्षेप नहीं करती हैं और दीर्घकालिक रूप से जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करती है ।

बफर ज़ोन: बफर ज़ोन एक विशिष्ट संरक्षण क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए क्षेत्र हैं, जो अक्सर इसके बाहरी हिस्से में होते हैं। बफर ज़ोन के भीतर, संसाधनों का उपयोग वैधानिक या प्रथागत रूप से प्रतिबंधित हो सकता है, सामान्यतया आसन्न संरक्षित क्षेत्र की तुलना में कम डिग्री तक ताकि एक संक्रमण क्षेत्र बन सके।

राष्ट्रीय उद्यान : वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर या बाहर स्थित एक क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस क्षेत्र के भीतर और आस-पास, वन्यजीवों की सुरक्षा और विचरण अथवा विकास के प्रयोजनों से , आवश्यक होने पर , इसकी पारिस्थितिक, वानिस्पतिक, जीवीय , भू आकृतिक , प्राणीकि संघटकों और महत्वों के कारण, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है।

वन्यजीव अभयारण्य: वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वन्य जीवों को सुरक्षा और रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। वन्यजीव अभयारण्य एक प्राकृतिक आवास है, जिसका स्वामित्व सरकार या निजी एजेंसी के पास होता है जो पक्षियों और वन्यजीवों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है।

ज़ोनल मास्टर प्लान: ज़ोनल विकास/महायोजना एक ज़ोन के लिए एक विस्तृत प्लान है जिसे एक महायोजना के फ्रेमवर्क के तहत बनाया और तैयार किया जाता है, जिसमें अलग-अलग भूमि के उपयोग, सड़कों और गलियों, पार्क और खुली जगहों, सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि के लिए प्रस्ताव होते हैं।

वहनीय क्षमता : WTO (विश्व व्यापार संगठन) के अनुसार, वहनीय क्षमता को इस तरह परिभाषित किया गया है: "लोगों की अधिकतम संख्या जो एक ही समय में किसी पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं, बिना भौतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और आगंतुकों की संतुष्टि की गुणवत्ता में अस्वीकार्य कमी किए बिना।"

कीस्टोन प्रजाति: कीस्टोन प्रजाति एक पौधा या जानवर है जो एक इकोसिस्टम के काम करने के तरीके में एक अनोखी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीस्टोन प्रजातियों के बिना, इकोसिस्टम बहुत अलग होगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

सकेंताक्षर

CBD	Convention on Biological diversity	जैविक विविधता पर अभिसमय
COP	Conference of parties	सभी पक्षों का सम्मेलन
ESA	Eco-Sensitive Area	पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र
ESZ	Eco-Sensitive Zone	पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन
MOEFCC	Ministry of Environment, Forest & Climate Change	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MPTB	Madhya Pradesh Tourism Board	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
NP	National Park	राष्ट्रीय उद्यान
PA	Protected Area	संरक्षित क्षेत्र
SEPL	Socio- ecological Production Landscape	सामाजिक-पारिस्थितिक उत्पादन परिदृश्य
ULB	Urban Local Body	शहरी स्थानीय निकाय
WLS	Wildlife Sanctuary	वन्यजीव अभयारण्य
ZMP	Zonal Master Plan	आंचलिक महायोजना

अध्याय 1 हरित भूमि नियोजन-दृष्टिकोण एवं उद्देश्य

1.1 दृष्टिकोण

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्य जीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (इको सेंसिटिव जोन – पारिस्थितिक संवेदी जोन) का उद्देश्य , पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान किये जा रहे लाभ और सेवाओं में वृद्धि करना, स्थानीय समुदायों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना , रोजगार के विभिन्न अवसर उत्पन्न करना, प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना और सभी के सहयोग से प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा करना है।

यह अनुभाग (सेक्शन) , बाणसागर बांध जैसी सरंचनाओं के कारण जल संसाधन प्रबंधन की कठिनाइयों पर, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग पर , विभिन्न प्रकार की खेती की आवश्यकताओं और आजीविका के अन्य विकल्पों पर तथा सभी के सहयोग से सरंक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

1.2 प्रबंधन का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य, संसाधनों का बुद्धिमता पूर्ण उपयोग तथा उनको पुन: उत्पन्न होने देने के अवसर प्रदान करना, पारिस्थितिक तंत्र से निरंतर सेवाएं प्राप्त करते रहना , सतत आजीविका , प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना, प्राकृतिक आश्रय स्थलों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना तथा इको सेंसिटिव ज़ोन के लिए एकीकृत शासन की रुपरेखा बनाना है । प्रबंधन के उद्देश्य में, समुदायों की आवश्यकताओं, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और संस्थागत प्रभावशीलता के मध्य परस्पर संतुलन पर बल दिया गया है।

1.3 अल्पकालिक उद्देश्य

अल्पकालिक उद्देश्यों में , मानव- वन्यजीव संघर्ष कम करना, वन्य जीव प्राकृतिक आश्रय स्थलों (हैबिटैट) का सरंक्षण करना, सतत आजीविका को बढ़ावा देना, भूजल संवर्धन, कृषि में सहायता तथा पर्यटन एवं आवासीय विकास को विनियमित करना है। अंतत: सरंक्षित क्षेत्रों और स्थानीय संसाधनों पर दबाव को कम करने हेतु आवश्यक विकास करना हैं।

1.4 दीर्घकालिक उद्देश्य

योजना के दीर्घकालिक उद्देश्यों में, प्राकृतिक आश्रय स्थलों (हैबिटैट) के आपसी संपर्कों को बढ़ावा देना, भू जल पर निर्भरता कम करना, सतत विकास और पर्यटन को सशक्त करना, सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारना तथा हरित अधोसरंचना, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदुषण के लिए एक बेहतर संस्थागत ढांचा विकसित करना शामिल है।

1.5 उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ

उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति में कुछ कठिनाइयाँ हैं जो इस प्रकार हैं - जागरूकता में कमी, नौकरशाही और संस्थागत गतिरोध, क्षमताओं में कमी, पारिस्थितिक संवेदी जोन में कार्यन्वयन का जोखिम, तथा विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसीयों के निर्णयों में भिन्नता के कारण विरोधाभास की वजह से अंतर एजेंसी समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।

अध्याय 2 पारिस्थितिक संवेदी जोन के ज़ोनिंग की योजना एवं दिशा-निर्देश

2.1 सुझावात्मक भू उपयोग योजना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन का जोनल मास्टर प्लान, क्षेत्र में निहित किसी भी भूमि के भू उपयोग अथवा भू आवरण को परिभाषित नहीं करता हैं। भू उपयोग योजना , प्राकृतिक संसाधनों (वन्यजीव आश्रय स्थलों , जलाशयों भू उपयोग ढलान , प्रशासनिक सीमाएं) की विशेषताओं को मानवीय गतिविधियों (वाहनों की आवाजाही , ट्रांसमिशन लाइन्स, कृषि , बसाहटें) की तीव्रता के साथ समावेशित कर , विस्तृत पर्यावरणीय संवेदनशीलता मेपिंग प्रणाली पर आधारित थी , ताकि प्रबंधन और सरंक्षण के लिए समग्र जोनिंग की जा सके।

2.1.1 पर्यावरणीय संवेदनशीलता आरेखण

पारिस्थितिक संवेदी जोन की पर्यावरणीय संवेदनशीलता का मूल्यांकन , वन्यजीव हैबिटैट, जलाशयों, बहने वाली धाराओं की तीव्रता, प्रशासनिक सीमाओं और ढलान जैसे मानदंडों का उपयोग कर किया गया है। आरेखण के निष्कर्षों के अनुसार , मुख्य वन्यजीव हैबिटैट और नदी तल विस्तारों को उच्च संवेदनशील चिन्हित किया गया है , जबकि भू आवरण, आर्द्रभूमि और बफर क्षेत्र परिवर्तित संवेदनशीलता दर्शाते हैं। (खण्ड 2, परिशिस्थ 3 , अध्याय 2, अनुभाग 2.1.1 , टेबल 2 से 10, मानचित्र 1 से 23)

2.1.2 मानवीय गतिविधि तथा प्रभाव निर्धारण

मानव प्रभाव का निर्धारण में वाहनों का यातायात , जनसँख्या घनत्व, कृषि, इंधन का प्रयोग , भू जल निष्कर्षण और पशु धन प्रबंधन पर विचार किया गया है। मानव प्रभाव का यह निर्धारण संवेदी पारस्थितिक ज़ोन पर महत्वपूर्ण बढ़ता दबाव दर्शाता है। (खण्ड 2 , परिशिष्ठ 3, अध्याय 2 , अनुभाग 2.1.2 , टेबल 11 से 29 ,मानचित्र 24)

2.1.3 समग्र ज़ोनिंग (स्थानिक क्षेत्र)

पारिस्थितिक विकास, भविष्य की बसाहटें , कैम्पिंग , पारिस्थितिकी सम्वेंदंशीलता, रेस्टोरेशन और हरित बफर ज़ोन, संवेदनशील हैबिटैट के स्थानिक केन्द्रीकरण पर विचार करते हुए समग्र निर्धारण, एक से अधिक प्रबंधन के ज़ोन की व्याख्या करता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 3, अनुभाग 2.1.3, प्रदर्श 3, मानचित्र 25)

2.1.4 विनियामक फ्रेम वर्क में ज़ोनिंग का अनुप्रयोग

ज़ोनिंग विनियम, स्थानिक विश्लेषण को पारिस्थितिक संवेदी जोन विनियामक फ्रेमवर्क से जोड़ते हैं तथा यह निर्देशित करते हैं कि संवर्धित, विनियमित और प्रतिषिद्ध गतिविधियों के लिए , परियोजना के परिक्षण के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, परियोजना अनुमोदन में ज़ोन विशिष्ट दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाए।

2.2 सतत विकास एवं प्रकृति सरंक्षण के क्षेत्र

पारिस्थितिक -विकास क्षेत्र , सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति, भविष्य की बसाहटों के क्षेत्र प्रबंधित विस्तार को दिशा देते हैं, कैम्पिंग ज़ोन कम प्रभाव वाले पर्यटन को बढ़ावा देते हैं सरंक्षित और हरित बफर संवेदी हैबिटैट जहाँ सरंक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता है को सम्मिलित करते हैं। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 2, सेक्शन 2.2 और 2.3 देखें)

2.3 पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के क्षेत्र

अनुपयोगी क्षेत्रों की , पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को फिर से पुनर्स्थापित करने तथा भविष्य के संभावित सामुदायिक और सरंक्षण उपयोगों के उद्देश्य से , समुदाय द्वारा प्रेरित प्रयासों से पहचान की गई है। (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.4 देखें)

2.4 पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध गतिविधियां

गतिविधियाँ जैसे, खनन, प्रदुषण फ़ैलाने वाले उद्योग, आरा मीलों के स्थापना, जलाऊ लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग, वृहद जल विद्युत् परियोजनाएं, परिसंकटमय पदार्थो का प्रयोग, अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, काष्ठ आधारित उद्योग और बकरी पालन समूचे ज़ोन में प्रतिबंधित है। (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.5 देखें)

2.5 पारिस्थितिक संवेदी जोन में विनियमित गतिविधियां

विनियमित गतिविधियाँ (होटल/ रिसोर्ट, सन्निर्माण, वृक्षों की कटाई, संसाधनों का निष्कर्षण, जल एवं उर्जा अधोसरंचना, सड़क निर्माण, वाहनों की आवाजाही, विदेशी प्रजातियों का लाना, अपशिष्ट निस्सारण, लघु उद्योग, पर्यटन गतिविधियाँ) गतिविधियों के स्थान के आधार पर अनुमोदन के अधीन हैं और विशिष्ट ज़ोनिंग और प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ आवश्यक रूप से सरेखित होना चाहिए (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.6 देखें)।

2.6 पारिस्थितिक संवेदी जोन में संवर्धित गतिविधियाँ

संवर्धित गतिविधियों में सतत कृषि, वर्षा जल संवर्धन, जैविक कृषि, हरित प्रोद्योगिकी कुटीर उद्योग, नवीकृत उर्जा, कृषि वानिकी, कोशल विकास तथा पर्यावरणीय जागरूकता शामिल है। संवर्धित गतिविधियों का उद्देश्य सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए समुदाय की आजीविका के अवसर उपलब्ध करना है। (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.7 देखें)

अध्याय 3 विषय योजना

3.1 सरंक्षण – विकास के विषयों का समाधान

बिना योजना के बसाहटों के विस्तार और संसाधनों के निष्कर्षण के खतरों को पहचानना एक मुख्य विषय है , जो भू उपयोग और अधोसरंचनाओं के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता को इंगित करता है तथा जल निकायों, आर्द्रभूमि, धाराओं और अन्य मुख्य पारिस्थितिक स्थानों के चारो और आवश्यक रूप से बफर बनाए जाने को प्रस्तावित करता है। सतत भू प्रबंधन को रैखिक अधोसरंचना योजना और पर्यावरण अनुकूल निर्माण दिशा निर्देशों जैसे उपायों से बढ़ावा दिया गया है, जो ध्वनि, जल मार्ग प्रदूषण और हैबिटैट बिखराव को कम करते हैं। (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 3, अनुभाग 3.1 देखें)

विशेषकर , इस योजना में यह आवश्यक इस योजना में यह आवश्यक है कि सभी नए विकास हरित बिल्डिंग मानकों का पालन करें, जिससे बस्तियों का आकार और प्रभाव सख्ती से कम हो। सामुदायिक अधिकारों (जैसे वन अधिकारों की पहचान) और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने को शामिल कर , इसका उद्देश्य भूमि के उपयोग के लिए सभी की सहभागिता युक्त उपाय खोजना है जो वनों को बचाने और स्थानीय आशाओं को भी ध्यान रखे।

निष्कर्ष: यह विषय योजना सरंक्षण-विकास समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करती है , जो सख्त ज़ोनिंग लागू करने, समुदाय-आधारित योजना को आगे बढ़ाने और पहले से तय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करने पर निर्भर है।

3.1.1 हरित अवसंरचना का विकास

हरित अवसंरचना को न सिर्फ इकोसिस्टम की समग्रता के लिए बल्कि समुदाय के कल्याण और जलवायु अनुकूलता के लिए भी आवश्यक बताया गया है (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.1, एग्ज़िबिट-3 देखें)। सरंक्षण के लिए प्रस्तावित हैं -

- खुली जगह
- पार्कों और सामुदायिक उद्यानों का विकास करना
- कॉम्पैक्ट और मिश्रित-उपयोग विकास को बढ़ावा देना
- पगडंडियों और साइकिल मार्गों के साथ पैदल चलने योग्य परिवेश बनाना

यह योजना लैंडस्केपिंग के लिए स्थानीय पेड़-पौधों को अपनाने को बढ़ावा देता है, हरित अवसरंचना डिज़ाइन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देता है, और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को आवश्यक बनाता है।

प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा और हरित कॉरिडोर निर्माण को पर्यावरण की सुरक्षा और बांधवगढ़ स्थान के समझ को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बताया गया है।

3.1.2 समुदाय-आधारित प्रयासों के माध्यम से वन्यजीवों का संरक्षण

यह मानते हुए कि प्रभावी संरक्षण, समुदाय की भागीदारी के बिना नहीं किया जा सकता है, यह थीम वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी के उपायों के बारे में बताती है। बांधवगढ़ की टाइगर संरक्षण फ़ोर्स (TPF), जिसमें स्थानीय युवा और एक्स-सर्विसमैन शामिल हैं, मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट को ज़मीनी स्तर पर देखरेख के साथ जोड़कर इस समेकित दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। समुदाय-आधारित गतिविधियों में पर्यावरणीय पेट्रोलिंग, फायर प्रबंधितमेंट, संरक्षण में बच्चों को शामिल करना, और वन्यजीवों के खतरों को रोकने के लिए कुओं को ढकना शामिल है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.2, चित्र 1 से 2 देखें)

समुदाय-आधारित इंटरवेंशन भी वन्य जीवों से फसल को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तार की बाड़ के बजाय जीवित पौधों की रुकावटों का इस्तेमाल करके बायो-फेंसिंग को बढ़ावा देते हैं।

3.1.3 वनों की आग के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय

वनों की आग को प्रबंधित करना एक आवश्यक पारिस्थितिकीय और सामाजिक प्राथमिकता है। बांधवगढ़ के पारिस्थितिक संवेदी जोन में ज़्यादातर आग मानवीय गतिविधियों के कारण लगती है, जिसमें गैर काष्ठ वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जानबूझकर जलाना, अचानक चिंगारियां निकलना और खेत साफ करना मुख्य कारण हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.3 देखें)। बचाव के तरीकों में शामिल हैं;

- आग की लाइनों को काटना और बनाए रखना,
- रणनीतिक स्थानों पर अग्नि निगरानी टावर बनाना
- सामुदायिक अग्निशमन दलों का गठन

यह योजना शिक्षा और सावधानी पर ध्यान केन्द्रित करता है, विशेषकर त्योहारों या ज़्यादा जोखिम वाले मौसम में, और तुरंत प्रतिक्रियाके लिए टेक्नोलॉजी के समावेशन (जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट डेटा) को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष: बांधवगढ़ में जंगल की आग की घटनाओं को कम करने के लिए, तेज़ी से पता लगाने और उसे रोकने के लिए व्यवस्थित निवारक अवसरंचना और मज़बूत सामुदायिक सहभागिता , दोनों की आवश्यकता है।

3.1.4 वन्यजीव और उसके पर्यावास का संरक्षण

हालांकि पारिस्थितिक संवेदी जोन के कुछ हिस्सों में अभी वन्यजीवों की संख्या सीमित हो सकती है, लेकिन भविष्य में वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रोएक्टिव हैबिटैट प्रबंधन को बहुत आवश्यक माना जाता है। कार्य योजना, फ़ॉरेस्ट गार्ड द्वारा, विशेषकर मानसून के दौरान या रात में, गश्तों के माध्यम से और ख़ुफ़िया जानकारियां इकट्ठा करने, वॉटरहोल मॉनिटरिंग, और अवैध शिकार जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कड़े प्रोटोकॉल बनाने के चारो ओर घूमती हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.4 देखें)।

स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम करने और समुदाय पर लगातार नज़र रखने की सलाह दी गई है, साथ ही शिकार रोकने के विशेष उपाय जैसे कि बिजली के झटके लगने वाली जगहों या लोहे के जाल को ट्रैक करना भी आवश्यक है। विशेषतौर पर, कार्यात्मक पारदर्शिता और ज़िला अधिकारियों के साथ तालमेल को लंबे समय तक हैबिटैट की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया है।

निष्कर्ष: पारिस्थितिक संवेदी जोन का हैबिटैट सरंक्षण एक फिजिकल और संस्थागत प्रयास है, जो इस कार्य के लिए स्टाफ रखकर, कड़ी निगरानी और समुदाय के सहयोग पर निर्भर है।

3.1.5 भवन निर्माण और अनुमोदन प्रणाली

पारिस्थितिक संवेदी जोन में एक बड़ा संस्थागत सुधार एक कंस्ट्रक्शन ऑथराइज़ेशन प्राधिकरण बनाना है जो सभी निर्माण गतिविधियों की जांच और स्वीकृति देगी। यह निकाय क्षेत्रीय महायोजना के साथ सामंजस्य करेगी, योजना किए गए पुनर्स्थापना और पुनर्वास में सहायता करेगी, और बिना अनुमति प्राप्त किये गए विकास को रोकेगी। इस प्राधिकरण को शुरू करने से योजना का सरंचनात्मक , पारदर्शी शहरीकरण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई देती है । और प्राधिकरण यह गारंटी देता है कि भविष्य का विकास, सरंक्षण मूल्यों से समझोता नहीं करेगा (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.5 देखें)।

निष्कर्ष: बांधवगढ़ की पारिस्थितिक एकरूपता को बनाए रखने और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक विकास की अनुमति देने के लिए निर्माण गतिविधियों पर एक केंद्रीकृत निगरानी आवश्यक मानी गई है।

3.2 मिट्टी की नमी व्यवस्था को कायम रखना

यह विषय योजना, मिट्टी के खराब होने और भू जल की कमी की चुनौतियों पर चर्चा करती है, और इसमें स्थल विशेष तकनीक जैसे सरंक्षण कृषि, समेकित पोषण प्रबंधन, घने वृक्ष लगाना, पशुओं को नियंत्रित तरीके से चराई , कंटूर बन्डिंग, चेक डैम और वानस्पतिक बैरियर को अपनाने का सुझाव देती हैं । विषय योजना में आगे पारंपरिक जल संवर्धन सरंचनाओं को फिर से ठीक करने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए वानस्पतिक आवरण के उपयोग का भी सुझाव दिया गया है।

मिट्टी के प्रतिसंधारण के लिए विषय योजना में टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए रेस्टोरेशन परियोजनाओं की निगरानी और स्थानीय समुदायों द्वारा स्वयं जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव है, जिसमें समुदाय के नेतृत्व वाले जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंधन को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और उससे जुड़ी स्कीमों के ज़रिए वित्तीय अभिसरण के साथ रखा गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.2, प्रदर्श-6 से 7, चित्र 3 से 4 देखें)।

3.3 कोरिडोर और कनेक्टिविटी का पुनर्स्थापन

प्राकृतिक आश्रय स्थलों (हैबिटैट) को जोड़ा जाना सुनिश्चित करना एक प्रमुख सरंक्षण लक्ष्य है , विशेषकर वन्यजीवों आवागमन के बिखराव और उसके बाद होने वाले मानव-वन्यजीवों टकराव को कम करने के लिए। योजना निम्नानुसार कार्यों का प्रस्ताव है;

- कोरिडोर में वृक्षारोपण
- जल स्रोतों का विकास
- आक्रामक खरपतवारों को हटाना
- महत्वपूर्ण मार्गों को मजबूत करने के लिए निजी या राजस्व भूमि का अधिग्रहण

इसके अतिरिक्त, हाथियों के आने के अलर्ट के लिए भूकंपीय संवेदक (सीस्मिक सेंसर) और व्यस्त रोड के हिस्सों पर अंडरपास/ओवरपास जैसे टेक्नोलॉजी और अवसरंचना को, टकराव रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.3, प्रदर्श-7 से 9, चित्र-5 से 6, मैप-31 देखें)।

3.4 वर्षाजल संवर्धन (Rain Water Harvesting- RWH)

भू जल स्तर में गिरावट को देखते हुए, यह योजना जल सुरक्षा और इकोसिस्टम को मज़बूती देने की योजना के तौर पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता देती है। कृषि और गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए , एक निर्धारित आकार से बड़े सभी नए शासकीय और नए निजी प्रतिष्ठानों के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है, जिसे विभिन्न पायलट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए दिखाया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.4 देखें)।

निष्कर्ष: संस्थागत प्रोत्साहनों से समर्थित बारिश का पानी इकट्ठा करने की संस्कृति, बांधवगढ़ के सदा नीरा जल भंडार के भविष्य की कुंजी है।

3.5 नगरपालिक अपशिष्ट प्रबंधन

विनियमन के बिना, कचरा निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के सौंदर्य, पारिस्थितिक और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है, विशेषकर टूरिस्ट हॉटस्पॉट और उसके आस-पास। इस योजना में एक विकेंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की गई है, जिसमें शामिल हैं;

- डोर टू डोर कचरा संग्रहण
- स्रोत पर पृथक्करण
- जैविक कचरे से खाद बनाना
- सूखे कचरे का पुनर्चक्रण

स्थानीय सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) का क्षमता वर्धन, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRFs) बनाने, और उत्तरदायी अपशिष्ट व्यवहार सिखाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, और अच्छी सर्विस डिलीवरी के लिए स्वच्छ भारत मिशन और जिला प्रशासन के साथ समन्वय करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.5 देखें)।

3.6 अपशिष्ट जल उपचार

घरों, पर्यटन स्थलों और व्यावसायिक स्थलों की बढ़ती संख्या की वजह से ज्यादा दूषित जल निकल रहा है, जिससे जल स्त्रोतों और मिट्टी को प्रदूषण का खतरा है। इस योजना में डीसेंट्रलाइज्ड वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम (DEWATS) का प्रस्ताव है, विशेषकर क्लस्टर गांवों और पर्यटन संवर्धित क्षेत्रों में ।

खेती और लैंडस्केपिंग के लिए ग्रेवॉटर के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है ताकि मीठे पानी की मांग कम हो सके, साथ ही ड्रेनेज प्लानिंग को वन्स्पतियुक्त नालियां और जल अवशोषक खाई वेजिटेटिव स्वेल्स और इनफिल्ट्रेशन ट्रेंच जैसे हरित अवसरंचना के साथ समेकित किया जा सके ताकि पर्यावरण अनुकूल फिल्ट्रेशन सुनिश्चित हो सके। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.6 देखें)।

3.7 .ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

हालांकि म्युनिसिपल वेस्ट को बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, लेकिन यह योजना विशेषतौर पर घरेलू, वाणिज्यिक और पर्यटन से जुड़े सॉलिड वेस्ट को पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह स्त्रोत पर ही गीला और सूखा कचरा अलग- अलग करने, घर पर कम्पोस्टिंग और समुदाय कम्पोस्ट यूनिट्स की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित देता है।

इस योजना में प्लास्टिक के कम उपयोग और ज़ीरो-वेस्ट तरीकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने पर ध्यान केन्द्रित दिया गया है। योजना, प्रत्येक गाँव को , स्थानीय स्तर पर कचरे के समस्या हल करने के लिए, व्यवहार में बदलाव और उसे सिस्टमैटिक तरीके से लागू करने के लिए उनका स्वयं का सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान बनाने की सलाह देती है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.7 देखें)।

3.8 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

सभी स्वास्थ्य केन्द्रों से बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, जिसे यदि ठीक से हैंडल न किया जाए, तो यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकटों का कारण बन सकता है। योजना में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार सख्ती से अलग करने, लेबल लगाने और डिस्पोज़ल प्रोटोकॉल अपनाने को अनिवार्य किया गया है। इसमें सभी बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादनकर्ताओं की मैपिंग, मेडिकल स्टाफ को समय-समय पर प्रशिक्षण देने और गांव के स्वास्थ्य केन्द्रों को अधिकृत निपटान सेवा प्रदाता से जोड़ने की भी सलाह दी गई है।

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमेडिकल वेस्ट की मात्रा कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए, इनका सुरक्षित निपटान, स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाता है और पारिस्थितिक रूप से कम ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों में जल और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.8 देखें)।

3.9 वर्षा जल प्रबंधन

शहरीकरण और नवीन अवसरंचनाएं अक्सर पानी के प्राकृतिक निकासी ड्रेनेज पैटर्न को बदल देते हैं, जिससे बाढ़ और मिट्टी का कटाव होता है। यह विषयगत योजना लैंडस्केप डिज़ाइन के साथ वर्षा जल प्लानिंग को जोड़ने को बढ़ावा देता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.9 देखें)। योजना में इन प्रयासों को अपनाने की सलाह दी गई है;

- वनस्पति स्वेल्स
- वर्षा उद्यान
- नालियों के लिए उचित ढलान संरेखण
- प्राकृतिक नालों का जीर्णोद्धार
- चेक बंड्स का रेस्टोरेशन

3.10 वाहनों का यातायात नियंत्रण

उच्च गति वाहनों की आवाजाही, विशेषकर हाईवे और ज़िला सड़कों पर और वन्यजीवों कॉरिडोर से गुज़रने से, वन्यजीवों की आबादी के लिए सीधा खतरा पैदा होता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.10 देखें)। योजना में इन बातों की समर्थन किया गया है ;

- गति विनियमन
- साइनेज़
- वन्यजीव क्रॉसिंग
- समय-आधारित वाहन प्रतिबंध
- निर्दिष्ट परिवहन गलियारे
- स्थानीय गतिशीलता और पर्यटन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ई-वाहन

3.11संसाधन निष्कर्षण का प्रबंधन

गैर-कानूनी रेत खनन, पत्थर की खदान, और ईंधन या औषधीय पौधों की ज़्यादा कटाई से, पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.11 देखें)। विषय योजना योजना में यह प्रस्ताव है

- निष्कर्षण हॉटस्पॉट का मानचित्रण

- और निगरानी बढ़ाना
- चक्रीय क्रम में उपयोग के साथ विनियमित सामुदायिक निष्कर्षण को बढ़ावा देना
- वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना (जैसे, एलपीजी, सौर कुकर)

यह तरीका उपयोग में रोक से बदलकर विन्यमित और सतत प्रयोग की ओर मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समुदाय पारिस्थितिक एकरूपता को खतरे में डाले बिना संसाधनों तक पहुँच सकें।

3.12 हानिकारक कचरे का प्रबंधन

एग्रोकेमिकल के बचे हुए हिस्से, ट्रांसपोर्ट से निकला तेल का कचरा, और कभी-कभी ओद्योगिक पानी का निस्सारण, पर्यावरण के लिए ज़हरीला खतरा पैदा करता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.12 देखें)।

यह सुझाव है कि -

- खतरनाक कचरे के संग्रह केंद्र बनाना
- सुरक्षित निपटान के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना
- किसानों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना।

3.13 सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण

सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए भूजल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए योजना में भूजल निष्कर्षण की सभी जगहों की मैपिंग करने और परमिट के ज़रिए उपयोग को विन्यमित करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित दिया गया है। यह वॉटर मीटरिंग, ड्रिप इरिगेशन और समुदाय-आधारित ग्राउंडवाटर मॉनिटरिंग को बढ़ावा देता है। योजना में कम ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों में ज़्यादा पानी उपयोग करने वाली फसलों को सीमित करने के लिए पॉलिसी बनाने का भी सुझाव दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.13 देखें)।

3.14 जल के प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण

प्राकृतिक झरने, तालाब और पुनर्भरण क्षेत्र पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 3, अनुभाग 3.14 देखें) । योजना में स्थानीय उपयोगकर्ता समूहों और ग्राम परिषदों के साथ भागीदारी से स्रोत संरक्षण योजनाओं का प्रस्ताव है, जिसमे निम्न पर ध्यान केन्द्रित किया गया है;

- वनीकरण
- पुनर्भरण क्षेत्रों पर बाड़ लगाना
- पानी के स्त्रोतों के आसपास कचरा फेंकने पर रोक लगाना।

3.15 जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना

अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान और जंगल की बढ़ती आग जैसी जलवायु समस्याओं के लिए एक दूरदर्शी योजना की आवश्यकता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.15 देखें)। इसमें इन चीज़ों को बढ़ावा देना शामिल है;

- सूखा प्रतिरोधी फसलें
- ईंधन-कुशल प्रौद्योगिकियां
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ
- संस्थागत तैयारी

इस योजना में क्लाइमेट चेंज पर स्टेट एक्शन योजना (SAPCC) के साथ समावेशन का सुझाव दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 8, सेक्शन 8.2 देखें)।

3.16 पर्यटन और विरासत संरक्षण (उप-क्षेत्रीय पर्यटन योजना)

सतत पर्यटन को एक सरंक्षण टूल और स्थानीय अर्थव्यस्था को बेहतर बनाने वाले के तौर पर देखा जा रहा है। यह योजना पयर्टक स्थलों को ध्यान से दिखाने, वहन क्षमता निर्धारित करने और पर्यावरण अनुकूल अवसरंचना पर ध्यान केन्द्रित करता है, जिसमें समुदाय द्वारा संचालित यात्री गृह (होमस्टे, इको-हट्स) और हेरिटेज सर्किट पर ध्यान केन्द्रित दिया गया है। नवाचारों में शामिल हैं;

- नदी पर्यटन, मागधी में इको-हट्स, और बाणसागर झील में जल-आधारित मनोरंजन
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और पारंपरिक संस्कृति को मज़बूत करने के लिए ग्राम पर्यटन (**Village Tourism)** मॉडल
- प्लास्टिक-मुक्त रणनीतियाँ, इंटरप्रिटेशन सेंटर, और कार्यात्मक विवरणों के लिए एक जैसे साइनेज

बांधवगढ़ की पर्यटन योजना इस सिद्धांत आधारित है कि सभी आर्थिक लाभ सरंक्षण प्राथमिकताओं और एक समान तथा बड़े स्तर पर स्थानीय लाभ, दोनों को पूरा करने चाहिए। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.16, प्रदर्श 11 से 14 देखें)।

3.17 कृषि और पशुधन प्रबंधन

पारंपरिक खेती और बिना नियम के चराई से जंगल के किनारे खराब हो रहे हैं। योजना में कृषि वानिकी, जैविक कृषि, बेहतर नस्ल के पशु , स्टॉल फीडिंग जैसे सतत उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। यह दूसरी फसलों के लिए चारे के विकास, प्रशिक्षण और मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.17, प्रदर्श 15 से 18 देखें)।

3.18 कुटीर उद्योंगों को प्रोत्साहन देना

पारिस्थितिक संवेदी जोन में क्राफ्ट, जंगल के प्रोडक्ट और सांस्कृतिक वस्तुओं में स्थानीय एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत संभावनाएं है। यह विषयगत योजना स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, डिज़ाइन सपोर्ट, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देता है। गांव की अर्थव्यस्था में विविधता लाने और जंगल पर निर्भरता कम करने के लिए कोशल विकास प्रोग्राम के साथ अभिसरण पर भी ध्यान केन्द्रित दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.18 देखें)।

3.19 प्रदूषण कम करना

ईएसजेड के भीतर , सड़कों, बस्तियों और पर्यटन गतिविधियों से वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 3, अनुभाग 3.19 देखें) । योजना, सक्रिय प्रदूषण नियंत्रण/शमन उपायों पर केंद्रित है जैसे;

- धूल की रोकथाम
- दूषित स्थलों का जैवउपचार
- पटाखों के विनियमित उपयोग
- बफर बेल्ट का रोपण
- निरंतर प्रदूषण निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

3.20 मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) प्रबंधन

मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं (जिसके कारण , फसलों का नुकसान, पशुओं का नुकसान, और इंसानों की मृत्यु) बढ़ रही हैं।

इस योजना में बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए बायो-फेंसिंग, मुआवज़े की योजना, जल्दी चेतावनी देने वाले सिस्टम और सामुदायिक प्रतिक्रिया दल का प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। लंबे समय की योजना में हैबिटैट पुनर्वास और पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंदर पहचाने गए क्षेत्र जहाँ मानव वन्यजीव मिले जुले क्षेत्रों को कम करने के लिए बेहतर भू उपयोग प्लानिंग शामिल है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.20, टेबल-3 देखें)

अध्याय 4 आजीविका के विषय और सुझाव

4.1 हितधारक परामर्श

प्लानिंग प्रोसेस में स्थानीय हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएँ की गई, जिसमें वन सटे गावों के रहवासियों, समुदाय के नेताओं, सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG), वन विभाग के अधिकारिओं और स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। ये चर्चाएँ, पारिस्थितिक संवेदी जोन में , प्रत्येक सूक्ष्म स्तर पर , आजीविका विशेष चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में बहुत आवश्यक थीं। समुदाय के सदस्यों ने इस बारे में चिंताएं व्यक्त कीं।

- ✓ मानव-वन्यजीव संघर्ष
- ✓ फसल हानि
- ✓ रोजगार के अवसरों की कमी
- ✓ मौसमी संकट प्रवास
- ✓ स्थानीय उत्पादों के लिए बाज़ारों तक खराब पहुँच
- ✓ निर्भरता , विशेषकर ईंधन, गैर-लकड़ी वाले वन के उत्पादों (NTFPs) और चराई के लिए, जो अक्सर संरक्षण नियमों के साथ टकराव पैदा करती है।

केन्द्रित समूह चर्चाओं, ट्रांसेक्ट वॉक और सीज़नल कैलेंडर जैसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन साधनों के माध्यम से, टीम ने समुदायों (विशेषकर महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्ग पर ध्यान केन्द्रित हुए) के जीवंत अनुभवों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनके संबंधो को ग्रहण किया । इन परामर्शों से पता चला कि पारिस्थितिक रूप से समृद्ध वातावरण में रहने के उपरांत भी, समुदाय अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अधोसरंचना, प्रशिक्षण और साख बनाने में कमतर रहीं। हालांकि, उन्होंने यह भी दिखाया कि अगर उन्हें सही प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग दिया जाए तो वे वैकल्पिक और सतत आजीविका गतिविधियों में शामिल होने की लालसा रखते हैं। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 4, सेक्शन 4.1 देखें)

4.2 पर्यावरण-विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना

बांधवगढ़ पारिस्थितिक संवेदी जोन में, आजीविका की योजना में मुख्य भाग पारिस्थितिक विकास गतिविधियाँ हैं । इन गतिविधियाँ को, वन के संसाधनों पर निर्भरता कम करने, साथ ही घरों की आय बढ़ाने और रोज़गार के अवसरपैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेषकर कमज़ोर समूहों के लिए। परामर्श और स्थल निर्धारण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, कई संभावित पारिस्थितिक विकास क्षेत्रों की पहचान की गई है।

खेती में, यह प्लान जैविक खेती, ओषधीय और खुशबूदार पौधों की खेती, और कटाई के बाद बेहतर तरीकों को प्रारम्भ करके अलग-अलग तरह के काम करने को बढ़ावा देता है। ड्रिप इरिगेशन, बायो-फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल और देसी

सूखे को झेलने वाली फसलों को बढ़ावा देकर पानी के बेहतर उपयोग पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 4, सेक्शन 4.2 देखें)

- ✓ पशु प्रबंधन में, यह योजना , बेहतर ब्रीडिंग के तरीकों, टीकाकरण अभियान और वन की ज़मीन पर चराई के दबाव को कम करने के लिए चारे के प्लॉट बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, पशुओं से होने वाली आजीविका को बेहतर बनाने के लिए गोशाला (मवेशी शेल्टर), बायोगैस प्लांट और डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की सलाह दी गई है।
- ✓ गैर काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) वैल्यू एडिशन, जैसे शहद, तेंदू पत्ते, महुआ और चिरौंजी की प्रोसेसिंग , आजीविका का एक और बड़ा साधन है। यह प्लान फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव बनाने और उन्हें मज़बूत करने, सही बाजार मूल्य और आगे की कड़ियों को सुनिश्चित करने का समर्थन करता हैं।
- ✓ महिलाओं और युवाओं के लिए बांस क्राफ्ट, लैंटाना फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और हर्बल प्रोडक्ट बनाने जैसे कुटीर उद्योगों का प्रस्ताव है।
- ✓ इन सूक्ष्म एंटरप्राइजेज के लिए कोशल विकास और ब्रांडिंग सहयोग को सफलता के लिए आवश्यक कारक माना जाता है।
- ✓ समुदाय-आधारित , इको-पर्यटन एक विशेष योजना है, जिसमें स्थानीय युवाओं को गाइड, कुक और होमस्टे ऑपरेटर के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ✓ कुछ विशेष पर्यटन संवर्धन क्षेत्रों टूरिज्म) प्रमोशन एरिया (TPAs) (में इको-हट्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर और स्थानीय व्यंजन , कैफे जैसे अधोसरंचना सपोर्ट की योजना बनाई गई है।
- ✓ ऊँचे स्तर पर पहुँचने और निरंतरता के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स और पर्यटन विभाग के साथ भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।

4.3 माइक्रो प्लान तैयारी

गांवों में अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्लान में हर बस्ती के पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के अनुसार , ग्रामीण स्तर पर माइक्रो-प्लान बनाने की सलाह दी गई है। ये माइक्रो-प्लान 3 से 5 साल के समय में इको-विकास गतिविधियाँ को लागू करने में गाइड करने के लिए कार्यात्मक दस्तावेज का काम करते हैं। इन्हें ग्राम सभाओं , पारिस्थितिक विकास समितियों (EDCs), सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs), और स्थानीय NGOs को शामिल करके सहभागितापूर्ण तरीके से तैयार किया जाना है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 4, सेक्शन 4.3 देखें)

माइक्रो-प्लान में कृषि, वन, जल सरंक्षण, नवीकृत उर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, कोशल प्रशिक्षण और उद्यम विकास में आवश्यक कार्यों के बारे में बताया गया है। वे स्थल के अनुसार अधोसरंचना की आवश्यकताओं जैसे कम्पोस्ट पिट, सोलर लाइटिंग, समुदाय वॉटर टैंक और पशुओं के शेल्टर की भी पहचान करते हैं।

माइक्रो-प्लानिंग में MGNREGS, NRLM, PMAY, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA) जैसी सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल पर भी ज़ोर दिया गया है।

4.4 माइक्रो प्लान का कार्यान्वयन

एक बार जब माइक्रो-प्लान तैयार हो जाते हैं और संबंधित अधिकारी उन्हें मंज़ूरी दे देते हैं, तो उनका सफल क्रियान्वयन अगला आवश्यक चरण बन जाता है। इसमें स्थानीय हितधारकों की क्षमता निर्माण, वित्तीय रूप से प्रचालन, संस्थागत समन्वय और लगातार निगरानी शामिल है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 4, सेक्शन 4.4 देखें)। इस प्लान में ब्लॉक स्तर पर एक मल्टी-स्टेकहोल्डर क्रियान्वयन दल बनाने का प्रस्ताव है , जिसमें इन जगहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे;

- वन,
- ग्रामीण विकास
- कृषि
- पशु
- पंचायत राज विभाग
- स्थानीय गैर सरकारी संगठन

यह टीम अनुमोदन प्राप्त करने में मदद करेगी, रुकावटों को दूर करेगी और समय पर धन रही जारी करना सुनिश्चित करेगी।

गांव के स्तर पर , EDCs और SHGs, इन प्रयासों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्हें चुनी गई गतिविधियाँ से जुड़े रिकॉर्ड रखने, वित्त प्रबंधन, रिपोर्टिंग और आधारभूत तकनीकि कोशल का प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं, युवाओं और वन पर निर्भर समूहों को क्रियान्वयन भूमिका में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

क्लस्टर-स्तर पर उत्पाद और सेवाओं की समग्र मार्केटिंग को ऊंचाई देने और सहयोग करने के लिए समूह बनाए जा सकते हैं।

प्रोग्रेस को पता करने के लिए लॉगबुक, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, समुदाय स्कोरकार्ड और संपत्तियों की जियो-टैगिंग जैसे निगरानी साधनों को अपनाने की सलाह दी जाती है। पारदर्शिता और विश्वास कायम करने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट और सामाजिक ऑडिट किए जाएंगे । जिन इलाकों में समुदाय की क्षमता कम है, वहां स्थानीय NGOs और वन विभाग के स्टाफ सहयोग करेंगे।

अध्याय 5 उप क्षेत्रीय (सब जोनल) पर्यटन योजना

5.1 सतत पर्यटन को प्रोत्साहन देना

बांधवगढ़ पारिस्थितिक संवेदी जोन में सतत पर्यटन को, पारिस्थितिकीय सरंक्षण, समुदाय की भागीदारी और आर्थिक समावेश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व होने की वजह से इस क्षेत्र में पहले से ही काफी पर्यटक आते हैं, लेकिन बिना योजना के पर्यटन की वजह से अधोसरंचानाओं पर दबाव पड़ा है, वन्य जीव के पर्यावास में व्यवधान हुआ है और लाभ ठीक से नहीं हुआ है।

योजना में ज़्यादा सघनता वाले उद्यान केन्द्रित पर्यटन को , उप क्षेत्रीय और विषयगत सर्किट पर आधारित कम असर वाले विकेंद्रीकृत मॉडल पर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1 देखें)। इनमें प्राकृतिक , सांस्कृतिक और एडवेंचर अनुभव शामिल होंगे, जिससे पर्यटन में अलग-अलग तरह के अनुभव मिलेंगे।

यह योजना निम्न लिखित को प्रोत्साहित करती है -

- पर्यटन क्षेत्रीकरण
- समुदाय-आधारित आवास
- स्थानीय भोजन पथ
- आदिवासी शिल्प
- इको-पर्यटन गतिविधियाँ जैसे नेचर वॉक, बर्डवॉचिंग और नदी-आधारित मनोरंजन
- वहन क्षमता आकलन के माध्यम से पर्यटन को विनियमित करना
- निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु
- आगंतुक आचार संहिता
- मौसमी प्रबंधन योजना।

उप क्षेत्रीय पर्यटन योजना, पर्यटन को बड़े सरंक्षित-विकास फ्रेमवर्क में रखता है और एक विनियमित, विविधता लिए हुए और भागीदारीपूर्ण पर्यटन मॉडल की मांग करता है जिससे व्यक्तियों और आर्थिक व्यवस्था दोनों को लाभ हो।

5.1.1 सेक्टर के लिए विजन और उद्देश्य

बांधवगढ़ पारिस्थितिक संवेदी जोन में पर्यटन का दृष्टिकोण, इस क्षेत्र को उत्तरदायी इको-पर्यटन के एक मॉडल के तौर पर विकसित करना है, जो वास्तविक प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभव दे, साथ ही पारिस्थितिकीय संतुलन और

स्थानीय खुशहाली भी सुनिश्चित करे। इसके मुख्य उद्देश्यों में जंगल के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना, ऑफबीट और कम भीड़ वाले पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, इको-सेंसिटिव तरीके से पर्यटन अधोसरंचानाओं को बेहतर बनाना, और क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी और सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करना शामिल है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1.1 देखें)।

पर्यटन को न सिर्फ आय अर्जित करने का सेक्टर माना जाता है, बल्कि इसे शैक्षणिक और सरंक्षण साधन के तौर पर भी देखा जाता है, और यह योजना पर्यटन विकास के सभी स्तरों पर सामुदायिक सम्बद्धता पर ज़ोर देता है, प्लानिंग और कार्यान्वयन से लेकर लाभ साझेदारी और निगरानी तक।

5.1.2 बांधवगढ़ ईएसजेड में पर्यटन सम्पदाएँ

बांधवगढ़ पारिस्थितिक संवेदी जोन में कई तरह की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और गतिविधि-आधारित पर्यटन सम्पदाएँ हैं। इनमें टाइगर रिज़र्व के कोर और बफ़र ज़ोन, नदी के किनारे के परिदृश्य, झरने, पहाड़ियाँ, आदिवासी गाँव, पुराने मंदिर और आर्कियोलॉजिकल जगहें शामिल हैं। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1.2, एग्ज़िबिट 21 से 25, टेबल 4 से 10, मैप 32 से 34 देखें)

- सांस्कृतिक समृद्धि बैगा और गोंड परंपराओं, त्योहारों, खाने और क्राफ्ट के ज़रिए दिखाई जाती है।
- नेचर-आधारित संपदाओं में वन्यजीव हैबिटैट और सुंदर नज़ारों से लेकर नेचर ट्रेल्स और इको-वॉक और सफारी के लिए सही वन शामिल हैं।

योजना में इन संपदाओं को तीन मुख्य श्रेणियो में बांटा गया है: प्राकृतिक (जैसे, जंगल, झरने), सांस्कृतिक (जैसे, मंदिर, आदिवासी बस्तियां), और गतिविधि-आधारित (जैसे, साइकिलिंग रूट, ट्रेकिंग पाथ)। ऐसे नोड्स और क्लस्टर्स की पहचान करने के लिए एसेट मैपिंग की गई है जिन्हें पर्यटन सर्किट बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है।

5.1.3 मौजूदा पर्यटन/पर्यावरण-पर्यटन अवसंरचना

इस क्षेत्र में पर्यटन अधोसरंचनाएं , अभी ताला और मगधी जैसे मुख्य प्रवेश वाले कस्बों में ही है, जहाँ अक्सर इको-सेंसिटिव डिज़ाइन और एकसमान वितरण की कमी होती है। योजना में भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम, साफ-सफाई की सुविधाओं की कमी, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी नहीं होने और पर्यटन कंपनियों में स्थानीय स्वामित्व की कमी जैसी दिक्कतों पर ध्यान दिया गया है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1.3, मैप 35 देखें)

इन कमियों को दूर करने के लिए, योजना में कम खोजे गए इलाकों में अधोसरंचानाओं बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें सख्त पर्यावरणीय गाइडलाइंस होंगी। इसमें इको-लॉज, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कम्पोस्ट टॉयलेट और ई वी चार्जिंग स्टेशन जैसी विकेंद्रीकृत पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने की बात कही गई है, जिन्हें टिकाऊ सामग्री और स्थानीय आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया गया है।

5.1.4 संभावित पर्यटन क्षेत्र और सर्किट

पर्यटन विकास के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन को सब-ज़ोन में बांटा गया है, जो स्थल के एकसमान विभाजन पर ध्यान केन्द्रित करता हैं। इनमें शामिल हैं:

- ताला-टिकारिया सर्किट : ज़्यादा पर्यटक वाले एरिया को बेहतर वेस्ट, मोबिलिटी और ज़ोनिंग कंट्रोल के साथ विकसित किया जाएगा।
- मगधी-मानपुर सर्किट : ग्रामीण पर्यटन और कृषि-आधारित अनुभवों को जोड़ना।
- पचपेढ़ी-पानपाथा सर्किट : कम ट्रैफिक वाला इलाका, जो बर्डिंग, साइकिलिंग और ट्राइबल होमस्टे के लिए बहुत अच्छा है।

हर सर्किट खास पर्यटन संपदाओं को अनुभवात्मक यात्रा बनाने से जोड़ता है, और इंटरप्रिटेशन फैसिलिटी, क्यूरेटेड अनुभवों, गाइडेड वॉक और स्थानीय स्टोरीटेलिंग की सलाह देता है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1.4, टेबल 12, मैप 36 से 37 देखें)

5.1.5 पर्यटन पूर्वानुमान और चुनौतियाँ

ट्रेंड्स और प्रस्तावित सर्किट विकास के आधार पर पर्यटन अनुमान बताते हैं कि आगंतुकों की संख्या में हर साल वृद्धि होगी, खासकर बफर ज़ोन में। हालांकि, चुनौतियों में अधोसरंचानाओं ओवरलोड, वन्यजीव व्यवधान, सीज़नल पीक, स्थानीय पर्यटन ऑपरेटर्स में क्षमताओं की कमी और अपर्याप्त विनियमन शामिल हैं।

इन्हें प्रबंधित करने के लिए, योजना में विज़िटर कोटा, पीक-सीज़न प्राइसिंग, आवश्यक स्थानीय गाइड हायरिंग और रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग शुरू करने का प्रस्ताव है। समुदाय प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता वर्धन कार्यशाला का भी सुझाव दिया गया है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1.5 देखें)

5.1.6 पर्यटन संवर्धन क्षेत्रों का सीमांकन (टीपीए)

पर्यटन संवर्धन क्षेत्र (TPA) खास ज़ोन होते हैं जिन्हें टारगेटेड अधोसरंचानाओं निवेश, समुदाय-आधारित पर्यटन पहल और विज़िटर फ्लो प्रबंधन के लिए पहचाना जाता है। दो पर्यटन संवर्धन क्षेत्र (चेचपुर और चांसुरा) को पहुँच, पारिस्थितिकीय सम्वेंदंशीलता और सामुदायिक भागीदारी की संभावना के आधार पर शुरुआती विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है।

प्रत्येक पर्यटन संवर्धन क्षेत्र में, विस्तृत माइक्रो-योजना अधोसरंचानाओं के प्रकार , वहन क्षमता सीमा, सरंक्षण शिक्षा तत्व और रेवेन्यू-शेयरिंग प्रणाली के बारे में मार्गदर्शन देंगे । प्रत्येक पर्यटन संवर्धन क्षेत्र के लिए सख्त पर्यावरणीय और सामाजिक सेफगार्ड्स प्रस्तावित किए गए हैं। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1.6, टेबल 12, मैप 38 से 39 देखें)

5.1.7 पर्यटन संवर्धन क्षेत्रों की वहन क्षमता का आकलन

पर्यटन संवर्धन क्षेत्रों के लिए वहन क्षमता का अध्ययन किया गया ताकि अधोसरंचानाओं, विज़िटर लोड और गतिविधि प्रकार के लिए एक सही सीमा निर्धारित की जा सके। इसमें पारिस्थितिकीय वहन क्षमता (वन्यजीव व्यवधान), भौतिक क्षमता (स्थल का आकर), और सामाजिक वहन क्षमता (रेसिडेंट्स कम्फर्ट) शामिल हैं। विधि में स्पेशल मैपिंग, पारिस्थितिकीय संकेतक, और समुदायों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श शामिल है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.1.7, एग्ज़िबिट-26 से 27 देखें)

नतीजे अधोसरंचानाओं डिज़ाइन, प्रवेश पर रोक और रोटेशन शेड्यूल का आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ट्रेल्स पर हर दिन सिर्फ़ कुछ ही लोगों को आने की अनुमति हो सकती है, और होमस्टे की संख्या सीमित होती है।

5.2 संरक्षण शिक्षा

पर्यटन को पर्यावरणीय जागरूकता के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता है। इस योजना में साइनेज, गाइडेड नेचर वॉक, वन्यजीव फिल्में, इंटरैक्टिव इंटरप्रिटेशन सेंटर और स्कूल-आधारित इको-क्लब के ज़रिए आगंतुकों के अनुभवों में सरंक्षण शिक्षा को शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है।

बायोडायवर्सिटी, सतत लाइफस्टाइल और ट्राइबल हेरिटेज पर विषय- विशेष संदेशो के साथ स्थानीय भाषाओं में सामग्रियां विकसित की जाएँगी। इको-एंबेसडर के तौर पर स्थानीय युवाओं के साथ समन्वय की भी योजना है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.2 देखें)

5.3 पर्यटन के लिए प्रबंधन दिशानिर्देश

ज़ोनिंग, अधोसरंचानाओं डिज़ाइन, पर्यटक व्यवहार, वेंडर विनियमन और संख्या नियंत्रण के लिए पूरी गाइडलाइंस का सुझाव दिया गया है। इनमें बिल्डिंग कोड, नो-प्लास्टिक पॉलिसी, एथिकल वन्यजीव देखने के नियम, कोलाहल पर रोक और स्थानीय गाइड का आवश्यक उपयोग शामिल हैं। योजना में शिकायत निवारण प्रणाली और पर्यटन ऑपरेशन के सालाना ऑडिट की भी सलाह दी गई है।
लागू करने, निगरानी और अनुपालन को समन्वित करने के लिए वन विभाग के तहत एक पर्यटन प्रबंधन प्रकोष्ठ का प्रस्ताव है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 5, सेक्शन 5.3 देखें)

अध्याय 6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण

6.1 अनुसंधान और निगरानी को प्राथमिकता देना

यह प्लान विज्ञान सम्मत नीति बनाने और अनुकूल प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए लक्ष्य आधारित अनुसन्धान की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.1 देखें)। प्राथमिकता में शामिल क्षेत्र हैं:

- मुख्य प्रजातियों (विशेषकर घड़ियाल और दूसरे जलीय जीव) का संरक्षण,
- सोन नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी की क्वालिटी और बहाव के तरीके में बदलाव की निगरानी करना,
- वनस्पति मानचित्रण और वन स्वास्थ्य आकलन,
- प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक निगरानी,
- जलवायु में बदलाव और संसाधनों तक पहुंच और कमज़ोरी पर इसका प्रभाव ।

ज़ोनल मास्टर पालन को एकेडमिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं (जैसे, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट), और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कराया जाएगा ताकि बेसलाइन और रियल-टाइम डेटा सिस्टम से समर्थित एक दीर्घ अवधि निगरानी और रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया जा सके, जो अडैप्टिव प्रबंधन, विनियमन प्रवर्तन और इको-विकास प्रयासों के प्रभावों को मापने के लिए आवश्यक हैं। अभी पारिस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा के लिए कोई केंद्रीकृत डाटा कोष नहीं है, जिससे योजना और पॉलिसी में सुधार में रुकावट आती है।

6.2 कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का विकास

मानव संसाधन विकास को प्लान का एक आवश्यक अंग माना गया है, क्योंकि मैदानी स्तर के लोगों में अक्सर पारिस्थितिक और समुदाय से जुड़ने के कोशल की कमी होती है। कुशल लोगों की कमी, विशेषकर मैदानी स्तर पर, ने सरंक्षण कानूनों को प्रभावशील तरीके से लागू करने और इको-रेस्टोरेशन प्रोग्राम को लागू करने में बहुत ज़्यादा रुकावट डाली है। विशेष प्रयासों में शामिल हैं:

- इको-विकास ऑफिसर, फॉरेस्ट वॉचर और जैव विविधता मॉनिटर जैसे समर्पित पारिस्थितिक संवेदी जोन स्टाफ की नियुक्ति।
- विशेष कार्यों में सहयोग के लिए टेक्निकल लोगों जैसे इकोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, GIS एनालिस्ट की हायरिंग।
- पारिस्थितिक संवेदी जोन से जुड़ी गतिविधियों की देखरेख के लिए विभागों (जैसे, पर्यटन, प्रदुषण नियंत्रण) में फोकल पॉइंट्स प्रदान करना।

कुशल लोगों की भर्ती और प्रशिक्षण में लगातार निवेश, साथ ही साफ़ जॉब डिस्क्रिप्शन और जबावदेही प्रणाली, संस्थागत क्षमता को बढ़ाएंगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रबंधन के निकर्षों को बेहतर बनाएंगे। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.2 देखें)

6.3 कौशल विकास और कार्य-स्थल प्रशिक्षण

अभी इको-पर्यटन, वानिकी और जैविक कृषि में स्थानीय लोगों की काफी रूचि है, लेकिन सरंचित शिक्षण मार्ग तक पहुंच कम है। इसके अलावा, ज़्यादातर सरकारी अधिकारियों को पारिस्थितिक संवेदी जोन प्लानिंग, समुदाय भागीदारी या इकोसिस्टम सेवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला है। कोशल विकास, सरकारी स्टाफ और समुदाय हितधारकों, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इको-विकास परियोजनाओं को लागू करने या उनसे फायदा उठाने में शामिल हैं। प्लान में मल्टी-टियर प्रशिक्षण प्रोग्राम बताए गए हैं जिनमें शामिल हैं:

- फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए: जैव विविधता निगरानी, GPS का इस्तेमाल, प्रजातियों की पहचान, टकराव कम करना, गश्त तकनीके ।
- समुदाय के सदस्यों के लिए: PRA तरीके, NTFP वैल्यू एडिशन, इकोपर्यटन गाइडिंग, जैविक कृषि और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- संस्थागत हितधारकों के लिए: इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, MIS हैंडलिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम।
- प्रशिक्षण डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्कशॉप, मोबाइल प्रशिक्षण यूनिट और स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल विकास (SIRD) जैसे प्रशिक्षण इंस्टिट्यूट के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए दी जाएगी।

नियमित अन्तराल पर दिए जाने वाले विकेंद्रीकृत , प्रायोगिक और विषय- विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम, पारिस्थितिक संवेदी जोन क्रियान्वयन के प्रभाव और समानताओं को बढ़ाएंगे। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.3 देखें)

6.4 एक शिक्षण केंद्र की स्थापना

इस प्लान में बांधवगढ़ पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंदर एक विशेष इको-लर्निंग और प्रशिक्षण सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। यह सेंटर कई उद्देश्य पूरे करेगा:

- अधिकारियों, समुदाय के सदस्यों, विद्यार्थियों और रिसर्चर्स के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित करें।
- इकोसिस्टम सर्विसेज़, जैव विविधता और पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान के लिए नॉलेज हब के तौर पर काम करना।
- इसमें एक रिसोर्स लाइब्रेरी, डिजिटल MIS इंटरफ़ेस और द्रश्य श्रवण शैक्षणिक सामग्री होगी ।
- विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ रिसर्च पार्टनरशिप और स्टूडेंट इंटर्नशिप को आसान बनाना।

- यह सुविधा, कम्पोस्टिंग, जल संवर्धन, और बायो-फेंसिंग जैसी इको-टेक्नोलॉजी के लिए एक डेमोंस्ट्रेशन स्थल के तौर पर भी काम करेगी।

एक केंद्रीकृत शैक्षणिक केंद्र , संस्थागत ज्ञानकोष को बढ़ाएगा, जीवनपर्यंत शिक्षण को सहयोग करेगा और विशेषज्ञों और समुदायों के बीच जानकारियों के सह- निर्माण को बढ़ावा देगा। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.4 देखें)

6.5 क्षमता निर्माण और अभिसरण

दीर्घावधि तक प्रभावशील रहने के लिए, प्लान में अन्तर्विभागीय और अंतरक्षेत्रीय क्षमता वर्धन का सुझाव है ,इसमें शामिल हैं:

- वन, कृषि, पर्यटन, प्रदुषण नियंत्रण, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के स्टाफ के लिए संयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल।
- रियल-टाइम रिपोर्टिंग और डेटा एक्सचेंज को प्रयोग योग्य करने के लिए एक साझा MIS प्लेटफॉर्म का विकास।
- संयुक्त समीक्षा और प्रोग्रेस निर्धारण करने के लिए जिला स्तर पर इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स बनाना।
- क्षमता निर्माण में बजट शिक्षण, राशी की उपयोगिता ट्रैकिंग और अनुपालन रिपोर्टिंग भी शामिल है। NGOs और प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण भागीदार के तौर पर शामिल किया जाएगा।

संयुक्त प्रशिक्षण और सरंक्षण प्रनालिओं को संस्थागत बनाने से—एक समेकित नॉलेज प्रबंधन सिस्टम से समर्थित—समग्र, पारदर्शी और उत्तरदायी पारिस्थितिक संवेदी जोन गवर्नेंस सुनिश्चित होगा। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.5 देखें)

अध्याय 7 बजट

7.1 योजना बजट

प्लान में बताए गए प्रस्तावों को लागू करने के लिए योजना अवधि पीरियड के दौरान लगभग INR 252 Cr का अनुमानित बजट होगा। बजट प्रावधानों का मुख्य भाग क्षमता निर्माण , आजीविका विकास , अधोसरंचना को बढ़ाना और पर्यावरणीय प्रबंधन होगा। यह व्यय , सरंक्षित क्षेत्र में समुदाय संवेदनशीलता और रेजिलिएंस और पर्यावरणीय सरंक्षण स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए होने की संभावना है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 8, सेक्शन 8.1 देखें)

7.2 वित्तपोषण का स्रोत

फंड का अभिसरण, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रबंधन और प्रोजेक्ट को लागू करने की मुख्य ज़रूरत होगी क्योंकि यह एक खास क्षेत्र है जिस पर कई विभागों को एक साथ ध्यान देने की ज़रूरत है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 8, सेक्शन 8.2 देखें)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और मनरेगा (MANREGA): आजीविका से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें पर्यटन उत्पाद के विकास, प्लांटेशन, फिशरीज़ वगैरह के लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और मनरेगा (MANREGA) के कार्यक्रमों के तहत शुरू किया जा सकता है। फंड मैनेजर्स को एजेंसियों द्वारा सरंक्षण, विकास या आजीविकासे जुड़े खास प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए संवेदनशील बनाना होगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) प्रोजेक्ट विकास, सुविधाओं की स्थापना और मछली पालन विकास के ऑपरेशन के लिए फंडिंग का मुख्य सोर्स होगी।

वित्त पोषण का दूसरा स्त्रोत नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB) हो सकता है , किसानों के लिए मदद, रिसोर्स पर्सन को मानदेय , क्रियान्वयन एजेंसियों को सहायता, असाइन किया गया विभाग लाभार्थी चुनने और फंड पाने के लिए एन एफ डी बी (NFDB) के साथ समन्वय के लिए ज़िम्मेदार होगा। ऊपर बताए गए अलग-अलग वन्यजीव सरंक्षण प्रोग्राम के अलावा : टाइगर, हाथी और दूसरे वन्यजीव सरंक्षण प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग वाइल्डलाइफ़ एक्शन प्लान मौजूद हैं, जिन्हें पारिस्थितिक संवेदी जोन मास्टर प्लान के प्रस्तावों के साथ समन्वित किया जा सकता है।

एरिया रेस्टोरेशन और प्लांटेशन के लिए स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज (SAPCC) और वित्त को अपडेट किया जा सकता है क्योंकि कोई भी पोधारोपन कार्यक्रम कार्बन अवशोषण में मदद करेगा। प्रोजेक्ट बनाने, अनुमोदन, स्वीकृति, फंड का वितरण , मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन और क्षमता वर्धन का काम फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जैसी नोडल एजेंसियां कर सकती हैं।

पशुधन और उससे जुड़े बचाव और मैनेजमेंट के कामों के लिए (RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) और दूसरी पशुधन और कृषि विकास योजनाओं) का इस्तेमाल सरंक्षण क्षेत्र के तहत विशेष क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाता है कि परियोजना क्षेत्रो के लिए ऐसे प्रयास पहले ही शुरू किये जा चुके हैं।

7.3 आहरण (ड्राइंग) एवं संवितरण तंत्र

फंड का आहरण और संवितरण, प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र में लागू करने के प्रस्तावित संस्थागत फ्रेमवर्क के अनुसार होगा। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 8, सेक्शन 8.3 देखें)

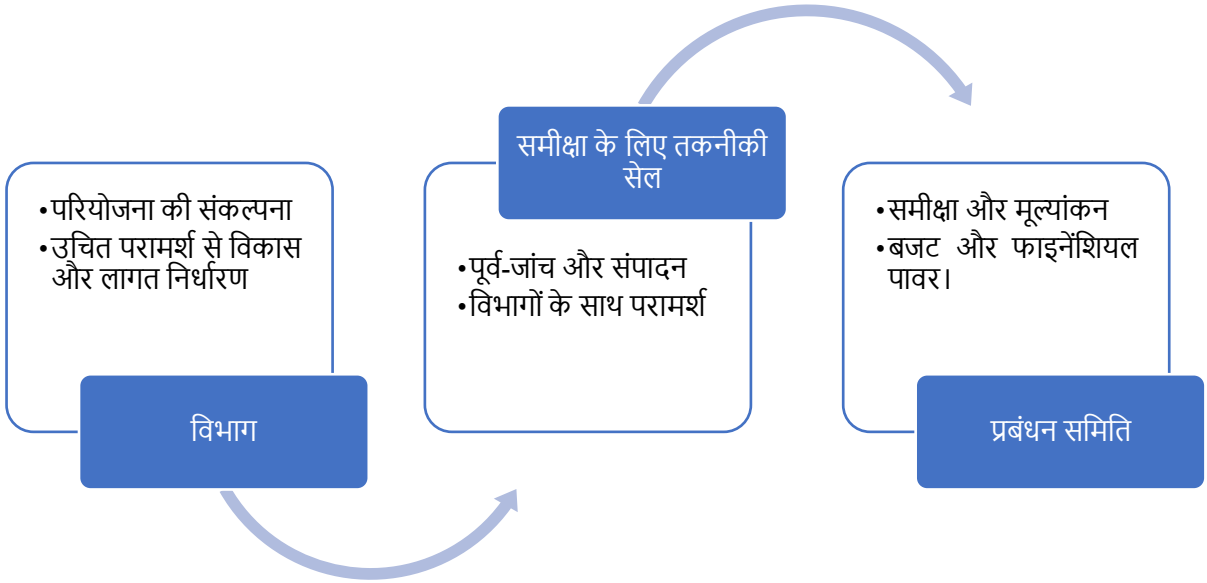

प्रोजेक्ट विकास और विस्तृत लागत का अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व तकनीकि प्रकोष्ठ के साथ मिलकर अलग-अलग विभागों का होगा। इसे वित्त के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रबंधन समिति के निर्णय के लिए रखा जाएगा। एक बार जब भुगतान अनुमोदित हो जाएगा, तो इसे सही प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

अध्याय 8 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियम

सरंक्षित क्षेत्रों की पहचान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत की गई है। पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके उनके लिए एक तरह का "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZs) घोषित करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना था, ताकि संरक्षित क्षेत्रों के संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पानपाथा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचित किया है। यह अभ्यारण्य उमरिया और कटनी ज़िलों की पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी रेंज में है। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व 1536.938 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 716.903 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर रिज़र्व का सरंक्षित क्षेत्र है और 820.035 स्क्वायर किलोमीटर बफर एरिया है।

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन नोटिफिकेशन और लगातार डिपार्टमेंटल मीटिंग्स की सिफारिशों के अनुसार, जोनल मास्टर प्लान में ये विशेष अनुभाग शामिल हैं:

क) विकास के लिए स्थान विशेष ज़ोन (सुझाए गए) (अध्याय 2 देखें)
ख) सुझाये गए पर्यटन संवर्धन क्षेत्र अध्याय 5, सेक्शन 5.1.6 देखें)
ग) गैर स्थानिक (प्रतिबंधित, विनियमित और संवर्धित गतिविधियाँ)
घ) प्रबंधन दिशा निर्देश और नीतियाँ (अध्याय 5, सेक्शन 5.3 देखें)
ङ) प्रयोगिक) पायलट (प्रोजेक्ट और हस्तक्षेप (अध्याय 3 देखें)
च) विनियामक क्षेत्र

अगला अनुभाग , उपरोक्त (च) विनियामक क्षेत्र की और विस्तार से व्याख्या करता है।

8.1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अनुमति जारी करना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में अनुमति जारी करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1 देखें)

1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन का जोनल मास्टर प्लान, क्षेत्र में निहित किसी भी भूमि के भू उपयोग अथवा भू आवरण को परिभाषित नहीं करता हैं। **(**सुझावात्मक भूमि उपयोग ज़ोनिंग के लिए खण्ड **2,** परिशिष्ट**-2** का अध्याय **2** देखें**)**

2 अनुमति केवल उन गतिविधियों के लिए पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन नोटिफिकेशन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जारी की जाएगी जो प्रतिबंधित नहीं हैं। **(खण्ड 2,** परिशिष्ट**-2** के सेक्शन **2.6** और **2.7** देखें**)**

3 विनियमित और संवर्धित गतिविधियों के लिए अनुमति इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के बाद नियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाएगी। **(खण्ड 2,** परिशिष्ट**-2** के सेक्शन **8.3** देखें**)**

4 उन गतिविधियों के लिए जिनका उल्लेख पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन नोटिफिकेशन या इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन मास्टर प्लान में नहीं है**,** अनुमति मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के बाद नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी। **(खण्ड 2,** परिशिष्ट**-2** के सेक्शन **8.3** देखें**)**

5 इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार**,** विनियमित और संवर्धित गतिविधियाँ**,** खण्ड **2,** परिशिष्ट **2-** अध्यायों के अध्याय **2** में परिभाषित संवेदनशील क्षेत्र में स्थानिक रूप से अनुमत हैं।

6 संवेदनशील क्षेत्र के भीतर प्रति अनुमति निम्नलिखित के आधार पर प्रदान की जाएगीः

अ. खण्ड **2,** परिशिष्ट **2-** अध्यायों के सेक्शन **8.2,** तालिका संख्या **6** में पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के लिए गतिविधि वर्गीकरण।

आ. पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के संवेदनशील क्षेत्र। खण्ड **2,** परिशिष्ट **2-** अध्यायों का मानचित्र संख्या **24** देखें।

7 संवेदनशील क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के लिए**,** इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन मास्टर प्लान के अध्याय **2** में सुझावात्मक क्षेत्र पहचाने गए हैं**,** अनुमति**,** नियामक प्राधिकरणों द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के बाद दी जाएगी। संबंधित विभाग से अनुमति से पहले इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन मास्टर प्लान के थीम प्लान **(**खण्ड **2,** परिशिष्ट**-2** का अध्याय **3)** पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

8 भवन विनियमन के विवरण के लिए भूमि विकास नियम **2012** या बाद के विनियमन का पालन किया जाएगा।

9 नियामक प्राधिकरणों की सूची खण्ड **2,** परिशिष्ट **2-** अध्यायों के सेक्शन **8.3** में दी गई है।

8.2 संवेदनशील क्षेत्र

सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर और दिनांक 10.10.2024, 08.11.2024, 14.05.2025, और 16.09.2025 को हुई पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इंटर-स्टेट डिपार्टमेंटल मीटिंग के कार्यवाही विवरण के अनुसार , संवेदी ज़ोन इस तरह तय किए गए हैं:

I. **सरंक्षित क्षेत्र से 1 km की दूरी**: जून **2022** के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अप्रैल **2023** में किए गए बदलाव के अनुसार**,** यह एक सुरक्षात्मक सीमा है जो कोर टाइगर रिज़र्व या इको-संवेदी ज़ोन **(**पारिस्थितिक संवेदी

जोन) की सीमा से **1** किलोमीटर तक फैली हुई है, जो भी पास हो। इसका मुख्य उद्देश्य तुरंत मानवीय प्रभाव को कम करना है, इसलिए नए निर्माण पर रोक है।

II. **तीव्र पहाड़ी ढलान (≥ 20°):** इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढलान वाले क्षेत्र शामिल हैं, जो कटाव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं। मिट्टी की स्थिरता बनाए रखने और पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए इन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में, केवल स्थानीय लोगों को ही अपनी भूमि पर अपने आवासीय उपयोग के लिए निर्माण करने, मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने तथा नई सड़कों के निर्माण करने, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और नवीनीकरण की तथा पहले से प्रचलित वर्तमान गतिविधियों की अनुमति होगी। इन ज़ोन में ज़्यादा ढलान वाले इलाके आते हैं, जहाँ कटाव और लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। मिट्टी की स्थिरता बनाए रखने और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें विशेष सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इन ज़ोन में, सिर्फ़ स्थानीय लोगों को ही अपनी भूमि पर रहने के लिए निर्माण करने, मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मज़बूत करने और नई सड़कें बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और रेनोवेशन करने की अनुमति होगी। (सेक्शन 2.1.1.7-ढलान देखें)।

III. **जलाशय सरंक्षण क्षेत्र (ग्रीन बफ़र):** ये क्षेत्र जलाशय (झीलें, नदियाँ, वगैरह) के चारों ओर होते हैं और पानी के इकोसिस्टम और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना और नदी किनारे के हैबिटैट को बचाना है। (सेक्शन **2.1.1.2**-सरफेस वॉटर देखें)।

IV. **ग्रीन बफ़र या आमोद** – प्रमोद वाले ज़ोन बड़े जलाशय/आर्द्रभूमि, बड़ी नदियों और पानी के बहाव वाले चैनलों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं और बफ़र क्षेत्र में कोई निर्माण गतिविधि प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिए। प्रस्तावित किए गए बफ़र ये हैं[1]:

   a. बड़ी नदियों के लिए नदी किनारे से 50 m.
   b. और उससे ज़्यादा क्षेत्र वाली झीलों की सीमा से 50 m दूर,
   c. और उससे कम क्षेत्र वाली झीलों/तालाबों/टैंक बेड की ज़मीनों की सीमा से 15 m दूर,
   d. मुख्य नहर, धारा, नालों और बरसाती पानी की नालियों की सीमाओं से 15 मीटर

V. **अनाच्छादित क्षेत्र:** ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पति आवरण काफी कम हो गया है, जिससे मिट्टी का कटाव और जैव विविधता में कमी आई है। इन क्षेत्रों में रीस्टोरेशन और पुन: वनरोपण के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है।

VI. **धार्मिक महत्व की जगहें:** ये वे क्षेत्र हैं जिनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इन्हें सावधानी से देख - रेख की आवश्यकता है, जिससे ,धार्मिक आवश्यकताओं और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जाए। सभी धार्मिक स्थल ,जो सरंक्षित क्षेत्र और पहाड़ी ढलान से 1 किमी की सीमा में स्थित हैं ,

[1] कृपया स्कूल ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, नई दिल्ली के साथ नेशनल मिशन फ़ॉर क्लीन गंगा द्वारा जारी 'अर्बन वेटलैंड/वॉटर बॉडीज़ मैनेजमेंट गाइडलाइंस' देखें।

उनके लिए विनियमन मानदंड स्पष्ट परिभाषित किये जायेंगे और कोई भी विकास कार्य ,धार्मिक स्थल विकास की विद्यमान शर्तों के अधीन अनुमत किया जाएगा।

VII. **शांत क्षेत्र:** शांत क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे संरक्षित क्षेत्र **(Protected Area-PA)** सीमा के **1** किमी के भीतर लागू किया जाना चाहिए**,** जहाँ दिन के समय अनुमेय ध्वनि स्तर **50 dB(A)** और रात के समय **40 dB(A)** होना चाहिए। **PA** से एक किमी से परे पूरे पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए**,** ध्वनि प्रदूषण **(**विनियमन और नियंत्रण**)** नियम**, 2000** के अनुसार दिन के समय अनुमेय ध्वनि स्तर **65 dB(A)** और रात के समय **55 dB(A)** की सीमा होनी चाहिए। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को रोका और नियंत्रित किया जाना चाहिए।

VIII. **टाइगर कॉरिडोर:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा टाइगर कॉरिडोर में विकास के लिए प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार **(**टाइगर कॉरिडोर के अंदर मैप किए गए क्षेत्र के लिए परिशिष्ट **10-**रेगुलेटरी ज़ोन और खसरा देखें**)**। ये नियम हैं**:**

a. सभी रिहायशी भूमि पर और रिहायशी भूमि से 100 मीटर की दूरी तक आवासीय निर्माण की अनुमति होगी।
b. गैर- रिहायशी भूमि पर, 0.1 की FAR सीमा के साथ आवासीय निर्माण की अनुमति है।
c. सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने की अनुमति सिर्फ़ फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट (वन्यजीव बोर्ड) से स्वीकृति मिलने के बाद ही दी जाएगी।
d. इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और रिनोवेशन की अनुमत है।
e. टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र में कोई नया वाणिज्यिक निर्माण अनुज्ञात नहीं है।

8.3 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के अधिसूचना अनुसार विनियम

शासन द्वारा पारिस्थितिक संवदी ज़ोन में कतिपय गतिविधियों को विनियमित एवं संवर्धित गतिविधियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ठ -2, अध्याय 8, सेक्शन 8.2 देखें)

8.4 विनियामक प्राधिकारण

खण्ड 2, परिशिष्ठ -2, अध्याय 8, सेक्शन 8.3 देखें।

क्रम संख्या	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
1	होटल और रिसॉर्ट का कमर्शियल प्रतिष्ठान।	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
2	निर्माण गतिविधियाँ	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
3	छोटे पैमाने के प्रदूषण रहित उद्योग।	राजस्व और स्थानीय निकाय

क्रम संख्या	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
4	कमर्शियल बकरी और भेड़ पालन	राजस्व और स्थानीय निकाय
5	वृक्षों की कटाई	राजस्व एवं वन विभाग, स्थानीय निकाय
6	बकरी पालन	स्थानीय निकाय
7	वन उत्पादों या गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFP) का संग्रह।	स्थानीय निकाय
8	प्रवासी चरवाहे	स्थानीय निकाय, वन विभाग
9	बिजली और संचार टावरों की स्थापना और केबल और अन्य बुनियादी ढांचे बिछाना	राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, डिस्कॉम
10	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
11	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और मज़बूत बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
12	पहाड़ी ढलानों और नदी किनारों की सुरक्षा।	स्थानीय निकाय, कलेक्टर
13	रात में वाहनों की आवाजाही।	स्थानीय निकाय, वन विभाग
14	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग और एक्वाकल्चर के साथ-साथ चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियाँ।	स्थानीय निकाय
15	उपचारित किए गए अपशिष्ट जल/बहिःस्राव को प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में छोड़ना।	स्थानीय निकाय, एमपीपीसीबी
16	सतही और भूजल का व्यावसायिक निष्कर्षण	स्थानीय निकाय, जल संसाधान विभाग, केंद्रीय ग्राउंड वाटर अथॉरिटी , कलेक्टर
17	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोरवेल आदि	स्थानीय निकाय, कलेक्टर
18	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	स्थानीय निकाय, चीफ मेडिकल एंड ऑफिसर , मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग
19	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	स्थानीय निकाय, कलेक्टर, वन विभाग
20	इको-पर्यटन	स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग, वन विभाग
21	ध्वनि प्रदूषण	स्थानीय निकाय, मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड , जिला प्रशासन।

क्रम संख्या	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
22	कमर्शियल साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, वन विभाग
23	ऊपर सूचीबद्ध न की गई कोई अन्य गतिविधि	मॉनीटरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार विनियमित किया गया

** नोट: दिनांक 10.10.2024 और 08.11.2024 को हुई पहली और दूसरी अंतर-राज्य विभागीय बैठक के दौरान मिली टिप्पणियों के आधार पर।*

संबंधित डिपार्टमेंट / रेगुलेटरी अथॉरिटी को मॉनिटरिंग कमिटी की सिफारिशों के अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुमति देनी चाहिए।

8.5 कार्यान्वयन और प्रक्रिया प्रवाह

आंचलिक महायोजना (ZMP) को पढ़ने और लागू करने की प्रक्रिया

चरण **1:** गतिविधि वर्गीकरण

प्रस्तावित गतिविधि की पहचान करें और उसे पारिस्थितिक संवेदी जोन अधिनियम की प्रतिषिद्ध, विनियमित, या संवर्धित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करें। (वर्गीकृत गतिविधियों की पूरी सूची के लिए खण्ड 2, अध्याय 2 देखें।)

चरण 2: वर्गीकरण के आधार पर निर्णय मार्ग

- प्रतिषिद्ध गतिविधियाँ: स्वतः अस्वीकृत; इन पर आगे कोई विचार नहीं किया जाना है।
- संवर्धित गतिविधियाँ: पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी क्षेत्रों में अनुमत । अनुमोदन के लिए नामित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित। (खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.3 देखें।)
- विनियमित गतिविधियाँ: इस हेतु स्थानिक और प्रासंगिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके लिए, संवेदनशील क्षेत्रों के विरुद्ध प्रस्तावित खसरा स्थान का सत्यापन, जिसमें शामिल हैं:

अ. संरक्षित क्षेत्रों **(PA)** से **1** किमी की दूरी
आ. पहाड़ी ढलान **>=20°**
इ. अनाच्छादित क्षेत्र
ई. जल निकायों के आसपास संरक्षण
उ. धार्मिक महत्व के स्थान
ऊ. बाघ कोरिडोर

यदि संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर स्थित है, तो गतिविधि को खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.2: "क्षेत्रों के अनुसार विनियम" के अनुपालन के विरुद्ध जांचा जाना चाहिए। अनुपालन पर, प्रस्ताव अनुमोदन के लिए नामित विनियामक प्राधिकरण को भेजा जा सकता है (खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.3)।

चरण 3: अनुमोदन उपरांत प्रबंधन

अनुमोदित गतिविधियों को खण्ड 2, अध्याय 3 और 5 में दिए गए प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ये दिशानिर्देश सुनिश्चित करते हैं कि विकास टिकाऊ रहे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के पारिस्थितिक और नियामक प्रारूप के अनुरूप हो।

अध्याय 9 निष्कर्ष

बांधवगढ़ इको-सेंसिटिव ज़ोन के लिए आंचलिक महा योजना (ज़ोनल मास्टर प्लान (ZMP)) भारत के सबसे पारिस्थितिकीय रूप से आवश्यक परिदृश्य में से एक में सरंक्षण उन्मुख विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक समग्र, एकीकृत और समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोण बताता है। अपने विषयगत और विशेष योजना फ्रेमवर्क के माध्यम, यह प्लान जैव विविधता सरंक्षण, आजीविका सुरक्षा, सतत पर्यटन और संस्थागत मज़बूती के बीच परस्पर निर्भरता को भी संबोधित करता है । यह वन्यजीव कोरिडोर एकीकरण, मृदा और जल के सरंक्षण तथा प्रदुषण नियंत्रण जैसे आवश्यक पारिस्थितिकीय कार्यों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से ठोस कार्य योजना प्रस्तावित करता है, साथ ही इको-डेवलपमेंट पहल, सूक्ष्म-एंटरप्राइज़ को प्रोत्साहित करने और सहभागी पूर्ण माइक्रो-प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त करता है।

ज़ोनल मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण भाग इसकी पर्यटन कार्य योजना की पुनर्कल्पना है, जो पर्यटकों की एक ही पर्यटक स्थल पर बहुत अधिक केंद्रीकृत प्रतिमान से हटकर एक विकेंद्रीकृत, समुदाय अग्र इको पर्यटन फ्रेमवर्क की ओर स्थानांतरित होती है। यह दृष्टिकोण , वहन क्षमता निर्धारण और सब-ज़ोनल टूरिज्म सर्किट के विकास पर आधारित है , जिससे कम से कम पारिस्थितिकीय प्रभाव और समान रूप से लाभों को साझा किया जाना सुनिश्चित होता है । योजना में क्षमता निर्माण, अनुसन्धान और निरंतर मॉनिटरिंग पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि अनुकूलित और उत्तरदायी क्रियान्वयन को सपोर्ट किया जा सके।

संस्थागत सशक्तता , गवर्नेंस कार्य योजना की रीढ़ है, जिसमें ज़ोनल मास्टर प्लान , इको-डेवलपमेंट कमेटियों (EDCs), सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs), और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटियों (JFMCs) जैसे ज़मीनी स्तर के संस्थाओं को बनाने और उन्हें मज़बूत करने का समर्थन करता है। इन निकायों को सहभागी गवर्नेंस के मुख्य प्रवर्तक के तौर पर देखा जाता है, जिनके कार्यों को संबंधित सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण (कन्वर्जेन्स) और तकनीकि संस्थाओं के साथ समन्वय के माध्यम से सहयोग किया जाता है।

समग्र रूप से , बांधवगढ़ ज़ोनल मास्टर प्लान (ZMP) एक प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है , जिसमें सरंक्षण और विकास एक-दूसरे को सशक्त करने वाले उद्देश्यों के तौर पर साथ-साथ काम करते हैं। विकास के विचारणीय विषय प्रत्येक आयामों में पारिस्थितिकीय सिद्धांतों को शामिल करके और सशक्त सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित कर , यह योजना पूरे भारत में सरंक्षित क्षेत्रों और उनके आस-पास के क्षेत्रों के सतत प्रबंधन लिए एक अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित करता है।